फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

भगवानसहाय बनाम रामस्वरूप वगै0

किस्म मुकदमा–दावा मु0नं0– 69/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.12.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 एवं आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाद वर्णित भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से एक दावा दुरूस्त इन्द्राज एवं दुरूस्ती तरमीम का न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था उक्त वादपत्र बउनवानी किशना उर्फ किशनलाल बनाम राज0 सरकार मु0 न0 141/2021 को दिनांक 15.03.2022 को दावा डिक्री कर दिया था एवं उक्त आदेश की पालना में रिकॉर्ड दुरूस्त किया जा चुका है। नक्शाशीट में तरमीम को दुरूस्त कर पूर्व की भांती 8 टुकडो में बांट दिया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त तरमीम दुरूस्ती के वादपत्र जो स्थायी निषे0 के वाद में वादीगण है वो हाजिर अदालत थे। जिसकी जानकारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को होने के बावजूद भी गलत रूप से यह वादपत्र पेश किया गया है। वादीगण ने तरमीम इुरूस्ती से पूर्व की जमाबंदी दिनांक 12.07.2021 संलग्न कर पुरानी जमाबंदी एवं पुरानी नक्शाशीट के आधार पर वादपत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकर कर दावा खारिज किया जावे। वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए है कि दिनांक 15.03.2022 को डिक्री किया जाना स्वीकार है। लेकिन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने निर्णय दिनांक 15.03.2022 की पालना तहरीर गैर कानूनी रूप से जारी करा ली एवं अप्रार्थी/वादीगण को कब्जेकाश्त से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण के अभिवचनों का मनन किया गया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 का अवलोकन किया गया। उक्त विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.03.2022 को ही निर्णय पारित किया गया था जिसकी पालना भी राजस्व रिकॉर्ड मे की जा चुकी थी लेकिन वादीगण की ओर से न्यायालय से तथ्य छुपाते हुए एवं तरमीम दुरूस्ती से पुरानी जमाबंदी पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो विधि विरूद्ध है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 एवं आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	